

बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन लि०,

(बिहार सरकार का उपक्रम)

पाठ्य पुस्तक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना-800 001

फोन: 2221975, 2222783, 2223533, 2205730 फैक्स: 0612-2236388 Email: textbookmd@gmail.com

थोक पुस्तक बिक्रेताओं को सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक सूचना :

माध्यमिक एवं उच्चतर (+स्तरीय) विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए निगम द्वारा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों की बिक्री हेतु शिक्षा सत्र 2015-16 के लिए जिला / अनुमण्डल / प्रखण्ड स्तर पर थोक पुस्तक बिक्रेताओं को सूचीबद्ध के लिए दिनांक **28.02.2015** तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र कुल 750.00 + 5% वैट = 788/- (सात सौ अठासी) रुपये नगद अथवा निगम के नाम भुगतये बैंक ड्राफ्ट द्वारा किसी भी कार्य दिवस को प्रभारी बिक्री केन्द्र, मुख्यालय, पटना से निर्धारित तिथि तक क्रय किया जा सकता है।

थोक पुस्तक बिक्रेताओं को 17% कमीशन तथा थोक पुस्तक बिक्रेताओं द्वारा खुदरा बिक्रेता को 13% कमीशन देना अनिवार्य है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक के दुकान संबंधी प्रमाण-पत्र के आधार पर बैंक ड्राफ्ट जमा करने पर निगम द्वारा बिक्री हेतु पुस्तकों की आपूर्ति थोक पुस्तक बिक्रेताओं को की जायेगी।


नियुक्त पुस्तक बिक्रेताओं को प्रथम चक्र में कम से कम 2.00 लाख, द्वितीय चक्र में 1.00 लाख एवं तृतीय चक्र में 50 हजार रु० नेट मूल्य की पुस्तकें क्रय करना अनिवार्य होगा।

प्रत्येक थोक पुस्तक बिक्रेता अपने आवेदन के साथ खुदरा पुस्तक बिक्रेताओं की सूची दो प्रतियों में संलग्न करेगा अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

थोक पुस्तक बिक्रेताओं को नियुक्ति में निगम प्रबन्धन का निर्णय अन्तिम होगा तथा बिना कोई कारण बताये आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निगम प्रबन्धन को सुरक्षित रहेगा।

सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा स्वयं सेवी संस्थान भी 10% कमीशन पर निगम के बिक्री केन्द्र, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पुर्णिया एवं मुख्यालय पटना से कम से कम रु० 5,000/- (पाँच हजार) रुपये ड्राफ्ट जमा कर पुस्तक क्रय कर सकते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हेतु दूरभाष संख्या-0612-2214828/9931943373 पर सचिव अथवा प्रबन्धक (मार्केटिंग एवं सेल्स) से सम्पर्क कर सकते हैं।


(दिलीप कुमार) आई.टी.एस
प्रबंध निदेशक